The Minister of State in the Ministry of Defence (Shri B. R. Bhagat): (a) to (c). There are 17 Air Force recruiting centres in the country. One in each State except Kerala and Haryana. The centres, however, do not necessarily cover only the State in which they are located. There are no sub-centres. The existing recruiting centres are considered adequate to meet the requirement.

सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग

3647. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रबि राय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग में ऐसे कितने अनुभाग हैं जहां पर काम मूलत: हिन्दी में होता है;

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दी में प्राप्त हुए कागजों तथा मूलत: हिन्दी में तैयार किये गये दस्तावेजों के अंग्रेजी अनुवाद मांगने की अधिकारियों की प्रवृत्ति हिन्दी के प्रयोग में मुख्य बाधा बनी हुई है; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त बाधा को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) एक अनुभाग में पूर्ण रूप से और दो अन्य अनुभागों में आंशिक रूप से ।

(ख) हिन्दी के प्रयोग में धीमी प्रगति का मुख्य कारण प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों में अच्छी हिन्दी के ज्ञान की कमी है ।

(ग) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को स्थायी करने के लिए विभागीय परीक्षा में हिन्दी अनिवार्य विषय रहा है और गृह मंत्रालय की हिन्दी प्रशिक्षण योजना पर मंत्रालय के मुख्यालय में और हमारे विदेश-स्थित मिशनों/केन्द्रों में भी अमल किया जा रहा है। मंत्रालय में अनुवाद की क्षमता का विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

हिन्दी कक्षाओं में जाने वाले कर्मचारियों के लिये प्रोत्साहन

3648. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रबि राय :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उन सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिये, जो गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई हिन्दी कक्षाओं में जाते हैं, अपनी कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सरकारी विभागों/मंत्रालयों में हिन्दी आरम्भ करने के विषय पर भारत सरकार के निर्णयों/निदेशों पर अमल करने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय पर है और उन्होंने हिन्दी प्रशिक्षण योजना आरम्भ कर दी है जिसमें ऐसे सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन और नकद पुरस्कार देने की व्यवस्था है जो हिन्दी में समुचित योग्यता प्राप्त करते है । यह योजना भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों पर समान रूप से लागू होती है और इस तरह विदेश मंत्रालय ने अलग से कोई योजना नहीं बनाई और न बनाने का विचार

भारत का विभाजन के बाद क्षेत्रफल

3649. श्री मोलहू प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :
श्री राम सेवक यादव :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1947 में पाकिस्तान बन जाने के बाद भारत का कुल क्षेत्रफल कितना था;

(ख) 31 अगस्त, 1966 को भारत का क्षेत्रफल कितना था; और

(ग) सरकार ने भिन्न करारों के अन्तर्गत पाकिस्तान को कितने वर्ग मील भूमि दे दी है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भारत के क्षेत्रफल का इस तरह हिसाब नहीं लगाया गया। भूतपूर्व रजवाड़ों की रियासतों के क्षेत्रफल समेत जो कि भारत में मिल गए और पुर्तगाली तथा फ्रांसीसी बस्तियों समेत जो बाद में भारत के साथ मिल गईं 1-1-1966 को भारत का क्षेत्रफल 3,268,090 किलोमीटर था; यह केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा इकट्ठे किए गए आंकड़ों के अनुसार है।

(ख) यह फैसला किया गया कि बराबर सर्वेक्षण होते रहने के परिणामस्वरूप क्षेत्रफल आंकड़ों में जो अन्तर आता है उसे 10 वर्ष में सिर्फ एक बार जनगणना के समय प्रकाशित किया जाएगा। इस सिलसिले में शिक्षा मंत्री ने 5 अगस्त, 1966 को सदन की मेज पर एक विवरण रखा था।

(ग) स्थिति इस प्रकार है :

(i) भारत-पूर्व पाकिस्तान सीमा : अभी तक सीमांकन पूरा नहीं हुआ है और इसलिए इस अवस्था में पाकिस्तान को कोई इलाका देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ii) पंजाब-पश्चिम पाकिस्तान सीमा : सीमांकन 1960 में ही पूरा किया जा चुका है और इस सेक्टर में उनके इलाकों में पड़ने वाले हमारे प्रदेशों का और हमारे इलाके में पड़ने वाले उनके प्रदेशों का आदान-प्रदान 17 जनवरी, 1961 को हो गया था। बदले गए क्षेत्रों का विवरण स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने 19 अगस्त, 1961 को अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 के उत्तर में लोक-सभा के सामने रखा था।

(iii) राजस्थान-पश्चिम पाकिस्तान सीमा : इस क्षेत्र में सीमांकन का कार्य पूरा हो गया है। चूंकि इस सेक्टर में एक-दूसरे के इलाके पर एक-दूसरे देश का विपरीत अधिकार नहीं था इसलिए इलाकों की अदला-बदली का सवाल ही नहीं उठा।

(iv) गुजरात-पश्चिम पाकिस्तान सीमा : सीमांकन का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। कच्छ ट्रिब्यूनल के फैसले का इन्तजार है।

Visit of Indian Navy Flagship to Kuwait

3650. **Shri Narendra Singh Mahida:** Will the Minister of Defence be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in April, 1965 when the flagship of the Indian Navy visited Kuwait on a goodwill cruise, the ship was refused permission to enter the port of Kuwait and was asked to anchor off the small oil port of Mina-al-Ahmedi, some 20 miles south of Kuwait;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) whether for the duration of their stay, the city of Kuwait was placed out of bounds for the Indian sailors;

(d) whether there was no reception of any sort by the Kuwait Government in honour of the visiting ship; and